S.O(H)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 471—478

Dated: 11-4-2015

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2015

सा.का.नि. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, अनुभाग अधिकारी (उद्यान) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय लो. नि. विभाग में अनुभाग अधिकारी (उद्यान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लो. नि. विभाग में अनुभाग अधिकारी (उद्यान) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुभाग अधिकारी (उद्यान)	81* (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-45), (लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार-36) (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित/ अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, वेतनमान 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्षों से अनधिक **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्षों तक की छूट । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत (और अंतिम तारीख वह नहीं जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी अनुमंडल, संघ-शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित है) में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति की तारीख अंतिम तारीख होगी) ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि विज्ञान अथवा वनस्पति शास्त्र अथवा उद्यान में बी.एस.सी. और किसी सरकारी विभाग अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित अथवा स्टाफ एक्सचेंज सूचीबद्ध किसी कम्पनी में अलंकरणीय उद्यान सहित उद्यान में दो वर्षों का अनुभव ; अथवा	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान में विशेषज्ञता के साथ कृषि विज्ञान में एम.एस.सी. अथवा भूदृश्य आर्कीटेक्चर अथवा फ्लोरीकल्चर में एम.एस.सी. ।   **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार/संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।   **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार/संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार/संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में **वे श्रेणियां जिनसे** प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण 1 :** सीधी भर्ती के आधार पर इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के भीतर साधारण लेखा और उद्यान में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा अन्यथा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि लेने की अनुज्ञेय नहीं दी जाएगी । परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा :– (i) अग्रदाय खातों का रखरखाव ; (ii) औजार एवं पौधे, लेखा एवं भंडार लेखाओं अर्थात् विभाग की साधारण आवश्यकताओं के लिए प्राप्त सामग्री का रखरखाव ;	लागू नहीं होता

(10)

(iii) उप लेखाओं में सामग्री का रखरखाव अर्थात् जिसकी सामग्री लागत विशिष्ट कार्यों पर वसूली जाती है ;

(iv) विभागीय तौर पर नियोजित श्रमिक की मस्टर रौल्स का रखरखाव ;

(v) चालू ठेकेदारों और वित्तीय बिलों को बनाने सहित माप की अभिलिखित ;

(vi) कार्य के संपादन के लिए तथा किए गए कार्य को बनाने की कार्यविधि ;

(vii) विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 100 में से 50 होगा ।

टिप्पण 2 : पदधारक के प्रतिनियुक्ति पर होने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत कार्यालय से दूर होने से उत्पन्न रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है ।

(क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हों ।

(ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता एवं अनुभव धारण करते हों (उसी अथवा केन्द्र सरकार के अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य एक्स कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :– 1. उप महानिदेशक (उद्यान) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग —अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(12)	
2. निदेशक (उद्यान) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य
3. उप निदेशक (उद्यान) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—सदस्य

[फा. सं. 35/4/2001-एस एंड डी/डब्ल्यू- III]
राम सिंह मीणा, डेस्क अधिकारी

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2015

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Section Officer (Horticulture) Group 'C' post Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Section Officer (Horticulture) in the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Section Officer (Horticulture) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.— The number of said posts, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc..— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

1879 GI/15-2

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Section Officer (Horticulture)	81* (Central Public Works Department = 45), Public works Department, Government of National Capital Territory of Delhi = 36) (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 and Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not exceeeding 30 years. **Note 1** : Relaxable for Government servatns upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of appplications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) B.Sc. in Agriculture or Botany or Horticulture from a recognized university or Institute; and possessing two years' experience in Horticulture including ornamental gardening in any Government Department or autonomous or statutory body or PSU or in any company incorporated under companies Act, 2013 or listed in stock exchange; or (b) M.Sc. in agriculture with specialization in Horticulture or M.Sc. in landscape architecture or floriculture from a recognized university or Institute.	Not applicable	Two years

(7)
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Comission/Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note 1 :** The person appointed to the post on direct recuitment basis shall have to pass a departmental test in simple accounts and Horticulture within a period of two years from the date of appointment on regular basis failing which he shall not be allowed to draw the annual increment. The syllabus for the test shall be as follows : (i) maintenance of Imprest Accounts; (ii) maintenance of Tools and plants, Accounts and Stock accounts i.e. Material obtained for general requirement of the department. (iii) maintenance of materials at sub-accounts i.e. material cost of which is charged at specific works; (iv) maintenance of muster rolls of labour employed departmentally; (v) recording of measurements including preparation of contractors running and financial bills; (vi) procedure for execution or works and preparation of work abstract.	Not applicable

(10)
(vii) the minimum qualifying marks for a pass in the Department test shall be 50 (fifty) out of 100 marks. **Note 2 :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Goverment :— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recurit under column (7). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)		(13)
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for confirmation) consisting of :—		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
(1) Deputy Director General (Horticulture) Central Public Works Department	—Chairman	
(2) Director (Horticulture) Central Public Works Department	—Member	
(3) Deputy Director (Horticulture) Central Public Works Department	—Member	

[F. No. 35/4/2001-S&D/EW-II]

R.S. MEENA, Desk Officer

MGIPRRND—1879 UD/2015—100 Copies.